न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 27 /2023

प्रार्थीगण:-

1. अमाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरानाडा
2. केशाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरानाडा

पन्नाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बोरानाडा

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. पुनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा
2. अमराराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा
3. गोपाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा
4. मानाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी ग्राम बोरानाडा
5. बिंजाराम पुत्र चैलाराम जाति मेघवाल निवासी बोरानाडा
6. जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर जरिये सचिव
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू . राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक** 8/5/2024

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम बोरानाडा , तहसील झंवर जिला जोधपुर में खसरा संख्या 282 कुल रकबा 5.8356 हैक्टेयर भूमि आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के मालिक काबिज काश्त है | प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पड़ोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है | अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खसरा संख्या 282 की माठो पर दिवार का निर्माण करवाने हेतु माठो को खुर्द बुर्द किया गया जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को निवेदन किया कि पहले सेटलमेंट नक़्शे के अनुसार सीमाज्ञान करवा लिया जावे तत्पश्चात ही मध्य माठो पर दिवार का निर्माण किया जाये | जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार झंवर के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया | जिस पर तहसीलदार झंवर के आदेश से टीम गठित की जाकर दिनांक 18/052023 को राजस्व नक़्शे अनुसार सीमाज्ञान करवा दिया गया | जिसकी मौका रिपोर्ट तैयार की गयी | प्रार्थीगण ने उक्त गठित टीम को सीमाज्ञान अनुसार मौके पर

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया | ताकि खेत में माठो को लेकर प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो लेकिन टीम द्वारा पत्थरगढ़ी करने से इंकार कर दिया एवम् कहा गया कि यदि आपको अपने खसरे की सीमाओ पर पत्थरगढ़ी करवानी है तो सक्षम न्यायालय से पत्थरगढ़ी हेतु आदेश करवाना होगा | सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18/05/2023 की प्रति संलग्न है केअनुसार ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर के खसरा संख्या 282 रकबा 5.8356 हैक्टेयर कृषि भूमि का राजस्व सेटलमेंट नक़्शे अनुसार एवम् मौका फर्द दिनांक 18/05/2023 अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया |

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थीगण की ओर से श्री हनुमान प्रजापति द्वारा अंडरटेकिंग दी गयी परन्तु कई अवसर देने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं किया गया | अप्रार्थी संख्या 06 को रजिस्टर AD से नोटिस भिजवाया गया | इनकी ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ |

पत्रावली में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया | चूंकि प्रार्थीगण ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 282 रकबा 5.8356 हैक्टयर कृषि भूमि के खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 खसरा संख्या 280/1 के खातेदार है , अप्रार्थी संख्या 01 खसरा संख्या 280 के खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 05 खसरा संख्या 284 के खातेदार है | खसरा संख्या 283 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर के नाम है | चूंकि खसरा संख्या 282 का सीमाज्ञान फर्द मौका दिनांक 18/05/2023 को किया जा चूका है जिसके अनुसार खसरा न. 282 रकबा 5.8356 हैक्टयर भूमि का मौके के अनुसार रकबा कम है | जिसका अंकन मौका फर्द में किया हुआ है | प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि को राजस्व नक़्शे एवम् राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज रकबे की भूमि के हक़दार है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है |

अत: प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम बोरानाडा , तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 282 रकबा 5.8356 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी मौका फर्द दिनांक 18/05/2023 अनुसार की जावें | पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो | आदेश की पालनार्थ तहसीलदार झंवर सम्बंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हों |

निर्णय आज दिनांक......01/5/2024......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पखराज कांसोटिया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर ग्रामीण

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)